भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 626
मंगलवार, 6 फरवरी, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

महिला सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी

626. श्री रविंदर कुशवाहा :

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला सहकारी समितियों के विकास की दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान महिला सहकारी समाज को कितनी धनराशि जारी की गई है; और
(ग) क्या एनसीडीसी ने सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), जो कि सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निगम है, देश भर में महिला सहकारी समितियों के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है।

एनसीडीसी अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रचारित सहकारी समितियाँ या महिला सदस्यों वाली सहकारी समितियाँ निगम की विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। एनसीडीसी ने खाद्यान्न प्रसंस्करण, फसलों के रोपण, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, डेयरी और पशुधन, भंडारण, कताई मिलों, हथकरघा, जूट और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं, युवा सहकार और सेवाओं, आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की है।

संचयी रूप से 31.03.2023 तक, एनसीडीसी ने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रचारित सहकारी समितियों के विकास के लिए 5714.81 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीडीसी द्वारा महिला सहकारी समितियों को संवितरित वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)**
2020-21	800.36
2021-22	1319.52
2022-23	1437.00

(ग): जी हाँ, मान्यवर। एनसीडीसी सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए निम्नलिखित विशेष योजना कार्यान्वित कर रहा है:

i. **नंदिनी सहकार:** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता गतिशीलता का समर्थन करना है। कोई भी सहकारी समिति, जिसमें प्राथमिक सदस्यों के रूप में न्यूनतम 50% महिलाएँ हों, जो तीन महीने से संचालन में हो, वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जो आधारभूत संरचना के लिए सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट लिंकेज के रूप में होगा, तथा जिसे सरकार/एजेंसियों की अन्य योजनाओं से सब्सिडी या ब्याज छूट के साथ जोड़ा जा सकता है । प्रोत्साहन के रूप में, एनसीडीसी नवीन गतिविधियों के लिए सावधि ऋण भाग पर अपनी ब्याज दर, 2% की छूट के साथ, प्रदान करता है और अन्य सभी गतिविधियों के लिए सावधि ऋण भाग पर अपनी ब्याज दर, 1% की छूट के साथ प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उधार लेने की लागत कम होती है।

ii. **स्वयं शक्ति सहकार योजना:** महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की नई योजना।

*****